भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 797

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की व्याप्तता

797. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार को देश में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) संबंधी बढ़ती चिंता की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एएमआर संबंधी समस्या से निपटने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों, एंटीबायोटिक्स के उपयोग संबंधी विनियमों और अनुसंधान पहलों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए किन्हीं राष्ट्रीय सर्वेक्षणों/ अध्ययनों सहित देश में एएमआर की व्याप्तता के संबंध में वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में एएमआर को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत दो वर्षों के दौरान एएमआर अनुसंधान और पहलों के लिए वर्ष-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सरकार को देश में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के बारे में जानकारी है। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध एक प्राकृतिक धीमी प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। एएमआर की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एएमआर को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

निगरानी स्थलों से प्राप्त एएमआर आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) की वेबसाइट: https://ncdc.mohfw.gov.in/reports पर अपलोड कर दी गई हैं।

(ङ): पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय एएमआर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवंटित बजट निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटित बजट
2022-23	7.76
2023-24	5.47

पिछले दो वर्षों में एएमआर अनुसंधान के लिए आवंटित बजट निम्नानुसार है::

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटित बजट
2022-23	7.07
2023-24	11.30

*****

अनुलग्नक

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध की व्याप्तता के संबंध में दिनांक 07.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के उत्तर के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) जारी किए गए हैं और ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं तथा इन्हें https://ncdc.mohfw.gov.in/guidelines-resources/ पर देखा जा सकता है।
2. सरकार ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या सेटिंग्स में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण करना है।
3. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मानक उपचार दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं।
4. भारत सरकार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के माध्यम से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। एंटीबायोटिक्स को ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची ज और ज1 में शामिल किया गया है और उन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे के तहत खुदरा द्वारा बेचा जाना आवश्यक है।
5. राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जेनेरिक दवाओं के नुस्खे लिखना सुनिश्चित करें और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में नियमित रूप से नुस्खों की जाँच करें।
6. राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत प्रमाणित होने के लिए नुस्खे की जाँच का अभ्यास एक शर्त है।
7. एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और एएमआर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, एनसीडीसी ने ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया संदेश और आउटडोर मीडिया सहित मीडिया सामग्री विकसित की है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और आगे के प्रसार के लिए राज्यों/संघ राज्य के साथ भी साझा की गई है। मीडिया सामग्री https://ncdc.mohfw.gov.in/iec-on-amr/ पर भी उपलब्ध है।
8. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने 21 विशिष्ट परिचर्या अस्पतालों वाले एएमआर नेटवर्क सहित कई शोध पहल की हैं। इन 21 अस्पतालों में एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप (एएमएस) कार्यान्वयन परियोजना भी शुरू की गई है, जिनमें से सभी ने अपनी एंटीबायोटिक नीतियाँ विकसित की हैं। आईसीएमआर बुनियादी, नैदानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के साथ-साथ छोटे और रुक-रुक कर मिलने वाले अनुदानों के साथ कुल 51 शोध परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

9. आईसीएमआर ने वर्ष 2016 में अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम विकसित करने में सुविधा हो, जो https://www.icmr.nic.in/sites/default/files/guidelines/Hospital_Infection_control_guidelines.pdf. उपलब्ध हैं।

*****